

क्र.सं	विनियामकीय अनुमोदन का विवरण	अपेक्षित समय
1.	निजी बैंक लाइसेंस- सैद्धांतिक अनुमोदन	90 दिन@
2.	बैंक की प्रदत्त इकिटी शेयर पूँजी के पाँच प्रतिशत या उससे अधिक के शेयर के अधिग्रहण / अंतरण के लिए बैंकों को अनुमोदन	90 दिन
3.	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 9 के अनुसार, 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष तक के लिए गैर-बैंकिंग आस्ति धारित करने के लिए बैंकों को अनुमोदन	15 दिन
4.	पूँजी लिखतों पर मोचन/ कॉल ऑप्शन के प्रयोग/ कूपन भुगतान के लिए बैंकों को अनुमोदन	15 दिन
5.	अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम/ सहयोगी स्थापित करने/ वित्तीय सेवा कंपनियों में कार्यनीतिक निवेश करने के लिए बैंकों को अनुमोदन	90 दिन
6.	निवेश सलाहकार सेवा, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा या स्टॉक ब्रोकिंग, म्युचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, बीमा या पेंशन प्रबंधन जैसी गतिविधियां विभागीय रूप से करने के लिए बैंकों को अनुमोदन	45 दिन
7.	बैंक/इसकी अनुषंगियों की पैरा-बैंकिंग गतिविधियों के दायरे का विस्तार करने के लिए बैंकों को अनुमति	45 दिन
8.	गैर-वित्तीय सेवा कंपनियों में निर्धारित विवेकपूर्ण सीमा से अधिक निवेश बनाए रखने के लिए बैंकों को अनुमति	45 दिन
9.	एसएफबी, पीबी और एलएबी सहित निजी क्षेत्र के बैंकों में पूर्णकालिक निदेशक (एमडी और सीईओ / ईडी / संयुक्त एमडी) और अंशकालिक अध्यक्ष (गैर-पूर्णकालिक निदेशक) की नियुक्ति/ पुनः नियुक्ति	90 दिन
10.	विदेशी बैंकों के सीईओ और भारत में परिचालन कर रहे विदेशी बैंकों के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगियों (डब्ल्यूओएस) के पूर्णकालिक निदेशक (एमडी और सीईओ / ईडी) और अंशकालिक अध्यक्ष (गैर-पूर्णकालिक निदेशक) की नियुक्ति/ पुनः नियुक्ति	90 दिन
11.	एसएफबी, पीबी और एलएबी सहित निजी क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशक (एमडी और सीईओ / ईडी / संयुक्त एमडी) और अंशकालिक अध्यक्ष (गैर-पूर्णकालिक निदेशक) के पारिश्रमिक, बोनस और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन (ईएसओपी)	90 दिन
12.	विदेशी बैंकों के सीईओ और भारत में परिचालन कर रहे विदेशी बैंकों के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगियों (डब्ल्यूओएस) के पूर्णकालिक निदेशक (एमडी और सीईओ / ईडी) और अंशकालिक अध्यक्ष (गैर-पूर्णकालिक निदेशक) के पारिश्रमिक, बोनस और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	90 दिन
13.	सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों, गैर-कार्यकारी अध्यक्षों और गैर-आधिकारिक निदेशकों की नियुक्ति के लिए मंजूरी	60 दिन

क्र.सं	विनियामकीय अनुमोदन का विवरण	अपेक्षित समय
14.	देशी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), जिसके लिए सामान्य अनुमति वापस ले ली गई है और भुगतान बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों के लिए वार्षिक बैंकिंग आउटलेट विस्तार योजना (एबीओईपी) को अनुमोदन	45 दिन
15.	बैंकों को सोने / चांदी के आयात के लिए प्राधिकृत करना	60 दिन
16.	अनुमोदित एबीओईपी के तहत बैंकिंग आउटलेट खोलने के लिए प्राधिकृत करना	30 दिन
17.	जीआईएफटी सिटी में आईबीयू स्थापित करने के लिए बैंकों के आवेदन पर कार्रवाई*	90 दिन

@ निजी क्षेत्र बैंक लाइसेंस के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन जारी करने की समय-सीमा स्वतंत्र बाह्य सलाहकार समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने से शुरू होती है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

18.	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल करना/ हटाया जाना	45 दिन
19.	बैंकिंग आउटलेट खोलने की अनुमति/ बैंकिंग आउटलेट/ सेवा शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए लाइसेंस जारी करना	45 दिन
20.	राजस्व केंद्र के बाहर बैंकिंग आउटलेट शिफ्ट किए जाने की अनुमति	45 दिन
21.	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 (2) के तहत आरक्षित निधि से विनियोजन	45 दिन

एनबीएफस

क्र.सं	विनियामकीय अनुमोदन का विवरण	अपेक्षित समय
एसआरओ		
1.	स्व-विनियमित संगठन (एसआरओ) की मान्यता	45 दिन
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)		
2.	पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना (प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण कंपनियों के अलावा)	45 दिन
3.	एनबीएफसी द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण निधि प्रायोजित करने के लिए अनापत्ति	30 दिन
4.	एनबीएफसी के नियंत्रण / स्वामित्व / प्रबंधन में परिवर्तन	30 दिन

क्र.सं	विनियामकीय अनुमोदन का विवरण	अपेक्षित समय
5.	मौजूदा एनबीएफसी का अन्य श्रेणियों में रूपांतरण जैसे कि कोर निवेश कंपनी-जमाराशि न लेने वाली-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण (सीआईसी-एनडी-एसआई), एनबीएफसी-सूक्ष्म वित्त संस्था (एनबीएफसी-एमएफआई), एनबीएफसी-इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी (आईएफसीएफसी) और एनबीएफसी-फैक्टर्स	30 दिन
6.	शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव	45 दिन
7.	लाभांश की घोषणा- (यदि लाभांश से संबंधित दिशानिर्देशों का पूर्णतः पालन करने में किसी पीडी के पास विशेष कारण है या कठिनाइयां हैं, तो इस संबंध में उपयुक्त तदर्थ वितरण के लिए आरबीआई से अग्रिम रूप से संपर्क किया जा सकता है)	45 दिन

सहकारी बैंक

क. प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए केंद्रीय कार्यालय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन / अनुमति

क्रम सं.	विनियामकीय अनुमोदन का विवरण	अपेक्षित समय
1.	1. शहरी सहकारी बैंकों के लिए केंद्रीय कार्यालय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन/ अनुमतियाँ	
1.	परिचालन क्षेत्र का विस्तार i) आसपास के जिलों और संपूर्ण पंजीकरण राज्य के अलावा ii) पंजीकरण राज्यों के अलावा iii) बहु-राज्य यूसीबी के लिए	90 दिन
2.	शाखाओं का स्थानांतरण - केंद्र और राज्य से बाहर अपने कार्यालयों / शाखाओं के स्थानांतरण के लिए यूसीबी से एफएसडब्ल्यूएम (वित्तीय रूप से सुदृढ़ सुप्रबंधित) मानदंड के अनुरूप नहीं होने का अनुरोध	90 दिन
3.	पंजीकरण राज्य के बाहर यूसीबी की शाखाओं को स्थानांतरित करना	90 दिन
4.	जी-प्रतिभूतियों की इंट्रा डे अल्प बिक्री करने की अनुमति	90 दिन
5.	3 अप्रैल, 2010 के हमारे परिपत्र में निर्धारित शर्तों के अधीन कुल आस्ति का 25% तक अप्रतिभूत अग्रिम प्रदान करने की अनुमति	90 दिन
6.	निदेशक ऋण से संबंधित ऋण की छूट	90 दिन
7.	दीर्घावधि (अधीनस्थ) जमाराशियों (एलटीडी) / स्थायी गैर संचयी वरीयता शेयरों (पीएनसीपीएस) / जमा को इक्षिटी में बदलने के लिए अनुमति प्रदान करना	90 दिन
8.	रु.100 करोड़ और उससे अधिक जमा आकार वाले अनुसूचित यूसीबी के सीईओ की	90 दिन

क्रम सं.	विनियामकीय अनुमोदन का विवरण	अपेक्षित समय
	नियुक्ति / नवीकरण के संबंध में अनुमोदन।	
2. यूसीबी के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दिए जाने वाले वाली अनुमोदन / अनुमतियाँ		
9.	विभिन्न वार्डों / नगरपालिका क्षेत्रों में कार्यालयों को स्थानांतरित करना	45 दिन
10.	फॉर्म V जमा करने के लिए समय -सीमा का विस्तार - (खोली गई शाखाओं के विवरण प्रस्तुत करना)	90 दिन
11.	प्राधिकरण जारी करने के बाद किंतु शाखा खोलने से पहले एक ही नगरपालिका वार्ड के पते में परिवर्तन	90 दिन
12.	वार्षिक व्यापार योजना के तहत शाखाएं खोलने और नए ऑफ-साइट एटीएम के लिए प्राधिकरण	90 दिन
13.	यूसीबी द्वारा विशेषीकृत शाखाओं को खोलने हेतु अनुमोदन	90 दिन
14.	ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करने की अनुमति	90 दिन
15.	लाभांश भुगतान हेतु अनुमति	90 दिन
16.	बैंक के नाम में परिवर्तन	90 दिन
17.	एनआरई खातों को बनाए रखने / नवीकृत करने के लिए प्राधिकरण	90 दिन
18.	रु. 100 करोड़ से कम जमा राशि आकार वाले अनुसूचित यूसीबी के सीईओ की नियुक्ति/ नवीकरण हेतु अनुमोदन	90 दिन
3. यूसीबी के लिए विभाग द्वारा संस्तुति हेतु प्राप्त अन्य आवेदन लेकिन जिनके लिए अन्य विभागों/ संगठनों द्वारा अनुमोदन/ अनुमति दी जाती है		
19.	केन्द्रीयकृत भुगतान प्रणाली से संबंधित स्वीकृतियाँ	45 दिन
20.	एमटीएसएस	45 दिन
21.	एडी-I और एडी-II श्रेणी लाइसेंस	45 दिन
22.	चालू खाता / एसजीएल खाता खोलना	45 दिन
23.	क्लियरिंग हाउस की सदस्यता	45 दिन
24.	एनडीएस-ओएम सदस्यता	45 दिन
25.	ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग का विस्तार करने की अनुमति	45 दिन

क्रम सं.	विनियामकीय अनुमोदन का विवरण	अपेक्षित समय
26.	जारी करने वाला बैंकर	45 दिन
27.	मर्चेंट बैंकिंग	45 दिन

ख. राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए विनियामकीय अनुमोदन

1. अन्य विभागों / एजेंसियों को शामिल किए बिना दिए जाने वाले विनियामक अनुमोदन

क्रम सं.	विनियामकीय अनुमोदन का विवरण	अपेक्षित समय
राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक		
1	भारत में निवासी व्यक्ति / फर्म / कंपनी को एनआरई जमा की सुरक्षा के खिलाफ ऋण / अग्रिम देना	30 दिन
2	गैर-बैंकिंग परिसंपत्तियों का निपटान - क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दी गई स्वीकृति	30 दिन
3	सहकारी बैंक के क्षेत्र के बाहर स्थित अन्य सहकारी समितियों के शेयरों में निवेश	30 दिन

2. अंतर-कार्यालय / अंतर-एजेंसी समन्वय में विनियामकीय अनुमोदन

क्रम सं.	विनियामकीय अनुमोदन का विवरण	अपेक्षित समय
राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक		
1	बैंकिंग लाइसेंस प्रदान करना- केंद्रीय कार्यालय द्वारा दिया गया अनुमोदन	30 दिन
2	गैर-पीएसयू बांडों में निवेश करने की अनुमति जहां निर्धारित मानदंड पूरे नहीं किए गए हैं	30 दिन
3	इनोवेटिव पर्फेचुअल ऋण लिखत जारी करने की अनुमति	30 दिन
4	जोखिम भागीदारी के बिना कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में बीमा व्यवसाय करने और उसका नवीकरण	30 दिन
5	को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड व्यवसाय शुरू करने की अनुमति और उसका नवीकरण	30 दिन
राज्य सहकारी बैंक		

क्रम सं.	विनियामकीय अनुमोदन का विवरण	अपेक्षित समय
6	राज्य सहकारी बैंक को शाखा लाइसेंस प्रदान करने के लिए अनुमति	30 दिन
7	एक्सटेंशन काउंटर खोलने की अनुमति	30 दिन
8	विदेशी मुद्रा व्यापार आदि के संचालन के लिए विशेष शाखाएँ खोलने की और मौजूदा विस्तार काउंटरों के पूर्ण शाखाओं में उन्नयन के लिए अनुमति	30 दिन
9	बैंक शाखा को लाइसेंस में उल्लिखित स्थान के अलावा किसी अन्य इलाके / नगरपालिका वार्ड में शिफ्ट करने की अनुमति। अनुमोदन क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा।	30 दिन
10	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना। अनुमोदन केंद्रीय कार्यालय द्वारा।	30 दिन